

प्रेषक,

उपायुक्त, गुरुग्राम।

सेवा में,

M/s SV Infra Management Solutions LLP.,
8644 & 8669, Roshanara Road,
Delhi-110007.

क्रमांक 127 /एम0बी0

दिनांक : 09/10/2024

विषय:-

Setting up a Proposed Residential Group Housing Colony over an area measuring 37 Kanal 5 Marla (4.6562 Acres) in the Revenue Estate of village – Dhanwapur, Tehsil Kadipur, Sector-104, Gurugram, Haryana - Aravali NOC.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार, कादीपुर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

नायब तहसीलदार, कादीपुर ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 846/रीडर दिनांक 27.09.2024 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार मौजा धनवापुर उपतहसील कादीपुर जिला गुरुग्राम की प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकार्ड से अवलोकन करने उपरान्त मांगी गई रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

1. राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित मु0/कीला नं0 37//21, 22/1, 22/2, 38//25/2, 43//5/1, 5/2, 44/1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 10/1, 27 दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं आता है।
2. राजस्व रिकार्ड अनुसार नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकीयत/चकबन्दी तक कभी भी उपरोक्त अराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन राडा, गैर मुमकिन बीहड़, बंजड बीहड़ या रुद्र नहीं रही है।
3. राजस्व रिकार्ड अनुसार नोटिफिकेशन से पूर्व मु0/कीला नं0 37//21, 22, 44//1, 2/1, 10/1 की किस्म चाही है वा मु0/कीला नं0 38//25/2, 43//5 की किस्म नरमोट है वा मु0/कीला नं0 44//27 की किस्म गैर मु0 चाही पुख्ता है। वा नोटिफिकेशन के पश्चात मु0/कीला नं0 38//25/2, 37//21, 22/1, 43//5/1, 44//1/2, 1/3, 10/1, 2/1 की किस्म चाही है। वा मु0/कीला नं0 37//22/2 की किस्म गैर मुमकिन है। वा मु0/कीला नं0 43//5/2, 44//1/1 की किस्म गैर मु0 रास्ता है। वा कीला नं0 44//27 की किस्म गैर मु0 चाही है।
4. राजस्व रिकार्ड अनुसार उपरोक्त अराजी भूमि मिसल हकीयत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामिलता देह/पंचायत देह/नगर पालिका/नगर निगम की मलकियत नहीं रही है।
5. राजस्व रिकार्ड अनुसार उपरोक्त अराजी भूमि बारे जमाबन्दी के खाना कैफियत पर किसी भी माननीय न्यायालय में कोर्ट केस/मुकदमा का इन्द्राज दर्ज नहीं है।
6. राजस्व रिकार्ड अनुसार उपरोक्त अराजी भूमि NCZ (National Conservation Zone), SEZ (Special Economical Zone) में नहीं आती है।
7. राजस्व रिकार्ड अनुसार उपरोक्त अराजी भूमि बारे जमाबन्दी के खाना कैफियत पर धारा 4-6 व अवार्ड आदि का इन्द्राज दर्ज नहीं है।

8. राजस्व रिकार्ड अनुसार जमाबन्दी वर्ष 2020-21 की खेवट नं० 27, 30, 31, 32, 34 व 42 पर बरूवे ई०नं० 6724 बैय मन्जूरशुदा के मुताबिक मु०/कीला नं० 37//21(7-7), 22/1(0-17), 22/2(7-10), 38//25/2(0-19), 43//5/1(8-7), 44//1/1(0-1), 1/2(0-15), 1/3(7-0), 2/1(1-18), 10/1(2-0), 27(0-6) कीता 12 रकबा 37 कनाल 5 मरला सालम पर मै० एस.वी. इन्फ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशन एल०एल०पी० मालिक है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 1456-G दिनांक 01.10.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 12.09.2024 को 4.6562 (Acre) ऐरिया गांव धनवापुर तहसील कादीपुर जिला गुरुग्राम, श्री नीरज कुमार सिंह (SV Infra Management Solutions LLP) को फॉरेस्ट क्लेरिफिकेशन ऑनलाईन जारी की जा चुकी है। जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि Applicant Mr. Niraj Kumar Singh, M/s SV Infra Management Solutions LLP., having Rectangle No./Murba No./Rect. No. 37//21(7-7), 22/1(0-17), 22/2(7-10), 38//25/2(0-19), 43//5/1(8-7), 5/2(0-5), 44//1/1(0-1), 1/2(0-15), 1/3(7-0), 2/1(1-18), 10/1(2-0), 27(0-6) Land Measurements 4.6562 (Acre) Land Location Village Dhanwapur, District Gurugram made a proposal to use this land for Mixed Land Use Colony Under Tod Policy 2016. It is made clear that:-

- As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. **M/s SV Infra Management Solutions LLP** whose land is located at **Village/City Dhanwapur, District Gurugram** must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher.

Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject To The Conditions Mentioned Above And Distance of the Proposed Site Is Less Than 5 Km. From Delhi Boundary. Hence, Necessary Permission Must Be Obtained From Competent Authority.

अतः आपको Village Dhanwapur, Sector-104, Sub Tehsil Kadipur, District Gurugram की उक्त भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट नायब तहसीलदार, कादीपुर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट में वर्णित शर्तों अनुसार जारी की जाती है तथा प्रार्थी कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया जाता है तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी वर्णित भूमि पर कोई भी परियोजना शुरू करने से पूर्व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट में दर्शाई गई शर्त अनुसार Competent Authority से अनुमति लेकर इस कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करे क्योंकि Distance of the Proposed Site Is Less Than 5 Km. From Delhi Boundary. Hence, Necessary Permission Must Be Obtained From Competent Authority, अन्यथा सम्बन्धित किला नम्बरान की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी।


कृते: उपायुक्त, गुरुग्राम।
